न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 03/2020

अपीलान्ट्स	**बनाम**	**रेस्पोडेंट्स**
खुदाबक्ष खां पुत्र मेहमूद खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी सिन्धीनगर, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. सोमु खॉ पुत्र खुदाबक्स 2. सराद खॉ पुत्र खुदाबक्स 3. सदीक खॉ पुत्र खुदाबक्स 4. सलीम खॉ पुत्र खुदाबक्स 5. मुमल पुत्री खुदाबक्स 6. भीरी पत्नी खुदाबक्स जातियान सिन्धी मुसलमान निवासीगण ग्राम सिन्धीनगर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 7. सरपंच ग्राम पंचायत कापरड़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 334 ग्राम पंचायत कापरड़ा द्वारा स्वीकार किया गया।

1. अपीलान्ट की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता उपस्थित।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 7 सरपंच ग्राम पंचायत कापरड़ा

:: निर्णय :: **दिनांक**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट की खातेदारी एवं खरीदसुदा भूमि ग्राम सिन्धीनगर तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 353/3 रकबा 1 बघा यानि 0.1618 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, इसी प्रकार खसरा नम्बर 366 रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा यानि 1.3915 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय स्थित है। अपीलाण्ट द्वारा खसरा नम्बर 353/3 की खरीद उमर खॉ पुत्र श्री इबु खॉ, [illegible] खॉ पुत्र इबु खॉ, मोरू खॉ पुत्र इबु खॉ, अली खॉ पुत्र इबु खॉ, शेरदीन पुत्र [illegible] खॉ सभी जातियान सिन्धी मुसलमान निवासीगण सिन्धीनगर से दिनांक [illegible].08.1993 को जरिये रजिस्टर्ड बैचान से खरीद किया जो दस्तावेज दिनांक 06.08.1993 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 54 पृष्ठ संख्या 104 क्रम संख्या 794 पर पंजीबद्धसुदा है। इसी प्रकार खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:34:57 IST
Reason: SelfAttested

366 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा की खरीद उमर खॉ पुत्र सुबान खंजी जाति मुसलमान सिन्धी निवासी सिन्धीनगर कापरड़ा से दिनांक 11.06.1973 को खरीद किया, जो उप पंजीयक कार्यालय बिलाडा में पंजीबद्धसुदा है। ग्राम सिन्धीनगर में खुदाबक्स पुत्र मेहमूद खॉ सिन्धी निवासी सिन्धीनगर वल्दियत का व्यक्ति अपीलाण्ट के वल्दियत से मिलता है जिसका देहान्त दिनांक 27.05.2013 को हो चुका है। अपीलाण्ट की वलिदयत मृतक खुदाबक्स के नाम की समान रूप से होने से अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 353/3 व खसरा नम्बर 366 का विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट के नाम से इन्द्राज किया गया जो प्रथम से गलत व आधारहीन होने से खारिज होने योग्य है। अपीलाधीन भूमि अपीलाण्ट की स्वअर्जित खरीदसुदा कब्जा काश्त की भूमि है। अपीलाण्ट की स्वअर्जित खरीदसुदा भूमि को वल्दियत में समान होने से अन्य व्यक्ति के नाम यानि रेस्पोडेण्ट के नाम करने से अपीलाण्ट को अपनी स्वअर्जित खरीदसुदा भूमि से मेहरूम कर दिया गया। ऐस करने का राजस्व अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत को कोई कानूनी अधिकार नही था। राजस्व अधिकारियों को अपीलाण्ट की भूमि का पूर्व जॉच की जाकर नामान्तरकरण की कार्यवाही की जानी चाहिये थी, अपीलाण्ट की भूमि पर रेस्पोडेण्ट्स को कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नही होता, न ही कभी अपीलाधीन भूमि को रेस्पोडेण्ट ने कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग किया। ग्राम पंचायत कापरडा ने नामान्तकरण जैर अपील स्वीकार करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई नोटिस नही दिया गया तथा तमाम कार्यवाही बिना सुनवाई किये रेस्पोडेण्ट्स की सह पर बाले–बाले की गई, नामान्तकरण सं. 334 को स्वीकृत करते अपीलाधीन भूमि के मालिकाना हक के बारे में पूर्ण जॉच करनी चाहिये थी। ग्राम पंचायत ने अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नही देकर बिना कोई जॉच के कार्यवाही की गई है। ग्राम पंचायत ने एवं हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण जै अपील स्वीकार करने से पूर्व अपीलाधीन भूमि के वास्तविक खातेदार के बारे में विधिवत् जॉच ही नही की एवं नामान्तकरण स्वीकार कर दिया। जबकि अपीलाधीन भूमि का खातेदार अपीलाण्ट जीवित व मौजूद है। इस प्रकार नामान्तरकरण जैर अपील कानून के प्रावधानों के मंशा के विपरित बिना कोई जॉच किये जीवित व्यक्ति की [illegible] को मृत व्यक्ति के पक्ष में स्वीकार किया गया है जो निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट अपीलाधीन भूमि का वर्तमान में उपयोग व उपभोग निर्विवाद रूप से कर रहा है जिस पर रेस्पोडेण्ट ने अभी तक कभी भी अपीलाण्ट को भूमि से बेदखल करने की चेष्टा नही की। परन्तु अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन भूमि की ऋण प्राप्त करने हेतु नकल की आवश्यकता होने पर हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:34:57 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी से सम्पर्क किया तब दिनांक 13.02.2020 को प्रथम बार जानकारी हुई। जिस पर राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की।

अन्त में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 334 को निरस्त किया जावे तथा अपीलाण्ट की भूमि खसरा नम्बर 353/3 व खसरा नम्बर 366 की भूमि के राजस्व रेकर्ड में पुनः रेस्पोडेण्ट का नाम हटाया जाकर अपीलाण्ट का नाम इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

अपीलान्ट की ओर से अपील में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद पेश किया है जिसके तथ्य इस प्रकार है कि नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार करने से पूर्व प्रार्थीगण को कोई नोटिस नही दिया गया तथा तमाम कार्यवाही बाले बाले की गई। इसलिए अपीलाण्ट को कोई जानकारी नही हुई। वादग्रस्त आराजी पर ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तो प्रथम बार जानकारी दिनांक 13.02.2020 को हुई कि वादग्रस्त आराजी में अपीलाण्ट को फौत दिखाकर रेस्पोडेण्ट का नाम इन्द्राज कर दिया गया। अपीलाण्ट अनपढ कृषक परिवार से है जो राजस्व रेकर्ड संबंधी किसी प्रकार की जानकारी नही रखता है। अपीलाण्ट को राजस्व रेकर्ड की आवश्यकता नही होने पर हल्का पटवारी से कभी सम्पर्क नही किया। अपीलाण्ट को ऋण की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी के पास जाने पर प्रथम बार दिनांक 13.02.2020 को जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अन्त में निवेदन किया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर म्याद सुमार किये जाने का आदेश फरमावे।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया । जिसका रेस्पोडेन्टस द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट को नामान्तरकरण सं. 334 में अपीलाधीन खसरा के इन्द्राज की जानकारी नहीं हुई। अपीलान्ट को राजस्व रेकर्ड मे सुधार करने की सहमति प्रदान कर दी थी। परन्तु अपीलान्ट ने न्यायालय में कार्यवाही की है। अपीलान्ट के अपीलाधीन भूमि खसरा सं. 353/3 व 366 को रेस्पोडेन्ट [illegible] क[illegible] क्लेम नहीं किया एवं न ही उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट की है। राजस्व अधिकारी [illegible] मानवीय भूल से त्रुटिवश उक्त खसरान को रेस्पोडेन्ट की भूमि के साथ ज[illegible] दिया गया। जिसे सुधार किया जाना आवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:34:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें तथा अपीलान्ट के विलम्ब को माफ करते हुए अपील स्वीकार की जावे।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 ने अपील का जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की खातेदारी एवं खरीदसुदा भूमि ग्राम सिन्धीनगर तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 353/3 रकबा 01 बीघा यानि 0.1618 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, इसी प्रकार खसरा सं. 366 रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा यानि 1.3915 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय की स्थित है। अपीलान्ट द्वारा खसरा सं. 353/3 की खरीद उमर खां पुत्र श्री इबु खां, जहूर खां पुत्र इबु खां, मोरू खां पुत्र इबु खां, अली खां पुत्र इबु खां, शेरदीन पुत्र इबु खां सभी जातियान सिन्धी मुसलमान निवासीगण सिन्धीनगर से दिनांक 06.08.1993 को जरिये रजिस्टर्ड बैचान से खरीद किया जो दस्तावेज दिनांक 06.08.93 पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 54 पृष्ठ सं. 104 क्रम सं. 794 पर पंजीबद्धसुदा है। इसी प्रकार खसरा सं. 366 रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा की खरीद उमर खां पुत्र सुबान खांजी जाति मुसलमान सिन्धी निवासी सिन्धीनगर कापरड़ा से दिनांक 11.06.1973 को खरीद किया, जो उप पंजीयक कार्यालय बिलाडा में पंजीबद्धसुदा है। ग्राम सिन्धीनगर में खुदाबक्ष पुत्र मेहमूद खां सिन्धी निवासी सिन्धीनगर वल्दियत का व्यक्ति अपीलान्ट के वल्दियत से मिलता है। रेस्पोडेन्ट के पूर्वज का देहान्त दिनांक 27.05.2013 को हो चुका है। अपीलान्ट की वल्दियत मृतक खुदाबक्ष के नाम से समान रूप से होने से अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा सं. 353/3 व खसरा सं. 366 का विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के नाम से मानवीय भूल से इन्द्राज किया गया। अपीलाधीन खसरा सं. 353/3, खसरा सं. 366 अपीलान्ट की भूमि है। जिसे राजस्व अधिकारियों की भूल सुधारते हुए अपीलान्ट के नाम किया जाना लाजमी है। अतः अपील जवाब पेश कर निवेदन है। कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 334 अपीलान्ट की भूमि खसरा सं. 353/3 व खसरा सं. 366 के हद तक राजस्व रेकर्ड में पुनः रेस्पोडेन्ट का नाम हटाया जाकर अपीलान्ट का नाम इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:34:57 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षकारान की [illegible] सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील म्यूटेशन सं. 334 ग्राम कापरड़ा का जो कि रेस्पोडेन्ट सं. 7 द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की, उक्त म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट सं. 7 द्वारा मृतक खुदाबक्स पुत्र मेहमूद खॉ जाति सिन्धी नि. सिन्धीनगर के फौत होने पर भरा था जिसमें अपीलाण्ट खुदाबक्ष पुत्र मेहमूद खॉ जाति सिन्धी नि. सिन्धीनगर जो दोनो नाम एक ही प्रकार के होने के कारण

अपीलाण्ट की भूमि का नामान्तरकरण भी भर दिया गया, जबकि अपीलाण्ट जीवित है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बैचाननामा के अनुसार उमरखां की ग्राम सिन्धीनगर खसरा नम्बर 353/3 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 366 रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा में स्थित उसके सम्पूर्ण भूमि को अपीलाण्ट द्वारा खरीद किया गया परन्तु उक्त बैचाननामा के आधार पर आलौच्य म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट सं. 7 द्वारा स्वीकृत करते समय अपीलान्ट की उक्त दोनों खसरान की सम्पूर्ण भूमि का अपीलान्ट के समान नाम वाले व्यक्ति खुदाबक्स के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम से स्वीकृत कर दिया। जो म्यूटेशन ग्राम पंचायत द्वारा मृतक खुदाबक्स के वारिसानों की जॉच किये बिना तथा मृतक खुदाबक्स तथा अपीलाण्ट खुदाबक्ष की वल्दियत समान होने के कारण अपीलाण्ट की भूमि का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज कर दिया गया है। जो कानूनन अपीलाण्ट के विरूद्ध अनुचित व बेअसर है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत कापरड़ा तहसील बिलाड़ा द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 334 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि अपीलाण्ट की भूमि खसरा नम्बर 353/3 ग्राम सिन्धीनगर तथा खसरा नम्बर 366 ग्राम सिन्धीनगर की भूमि का नामान्तरकरण रजिस्टर्ड बैचाननामा के अनुसार पुनः अपीलाण्ट के नाम दर्ज करे तथा मृतक खुदाबक्स की बकाया भूमि में उसके वारिसानों की जॉच कर पुन फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:34:57 IST
Reason: SelfAttested